फा.सं.15(7)/2011-डीबीए-II/एनईआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

***

नई दिल्ली, दिनांक: 24 मई, 2012

सेवा में

लेखा अधिकारी,
वेतन एवं लेखा कार्यालय,
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली|

विषय:- 2012-13 के दौरान पात्र औद्योगिक इकाइयों को संवितरण हेतु परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) को 1,16,11,53,204/- रु. की राशि की निर्मुक्ति |

महोदय,

मुझे, समय-समय पर यथा संशोधित परिवहन राजसहायता योजना की मौजूदा निबंधन और शर्तों के अनुसार और संबंधित राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों (सूची इस संस्वीकृति के साथ संलग्न) को राजसहायता के संवितरण हेतु प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), एनईडीएफआई भवन, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 को 1,16,11,53,204/- रु. (केवल एक सौ सोलह करोड़ ग्यारह लाख तिरेपन हज़ार दो सौ चार रुपये) की राशि की निर्मुक्ति हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है| एनईडीएफआई लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों की सूची और उसके द्वारा जिनको संवितरण किया गया हो उनकी खाता संख्याओं सहित जीएफआर 212(i) के अनुसार निर्धारित समयानुसूची के भीतर यथाशीघ्र इस विभाग को जीएफआर 2005 के प्रपत्र 19-क में अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा|

2. एनईडीएफआई इस विभाग (पूर्व में औद्योगिक विकास मंत्रालय) की दिनांक 23 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं. एफ6(26)/71-आईसी द्वारा अधिसूचित परिवहन राजसहायता योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र इकाइयों को राजसहायता निर्मुक्त करेगा| राजसहायता निर्मुक्त करने से पूर्व एनईडीएफआई दिनांक 20 नवम्बर, 2009 के पत्र सं.10(2)/2006-डीबीए.II-एनईआर के द्वारा सभी राज्यों/नोडल एजेंसियों को अग्रेषित आशोधित जांचसूचियों में प्रदत्त दस्तावेज़ों का अनिवार्यत: संवीक्षण करेगा| एनईडीएफआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभ प्राप्तकर्ता इकाइयों को भुगतान ईसीएस अथवा दावा करने वाले की खाता संख्या युक्त चेक द्वारा किया जाए| राजसहायता की निर्मुक्ति "सबसे पुराने एसएलसी के सबसे पुराने दावे को पहली प्राथमिकता दी जाए" के सिद्धांत के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (नागालैंड राज्य को छोड़कर) की सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को की जाए| दावाकारों की अनुमत्य सूची इसके साथ संलग्न की जा रही है|

3. संस्वीकृत राशि उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के खाता संख्या 30020367949, भारतीय स्टेट बैंक, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज शाखा, जीएस रोड, भंगागढ़, एमआईसीआर कोड-781002012 और आईएफएससी कोड-एसबीआईएन0007700 के पक्ष में निर्मुक्त की जाए|

4. एनईडीएफआई द्वारा उपर्युक्त राशि का उपयोग जीएफआर 2005 में तथा स्कीम की अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित मानदंडों मे निहित निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(i) एनईडीएफआई परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत पात्र इकाइयों को राजसहायता निर्मुक्त करने के लिए इस विभाग द्वारा निर्मुक्त की गईं निधियों का एक पृथक खाता रखेगी|

(ii) किया गया व्यय संस्वीकृति प्राधिकारी/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक /मुख्य लेखा नियंत्रक के आंतरिक लेखा परीक्षा दल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला होगा|

(iii) इस विभाग द्वारा निर्मुक्त निधियों का उपयोग दिनांक 31.12.2012 तक उस प्रयोजन के लिए कर लिया जाएगा जिसके लिए उसकी संस्वीकृति की गई है|

(iv) एनईडीएफआई अपने पास निधियों को जमा नहीं रखेगा और स्कीम के दिशा निर्देशों तथा संगत जीएफआर मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत नियत राशि की निर्मुक्ति अविलंब करेगा|

(v) एनईडीएफआई परिवहन राजसहायता की अगली किस्त की निर्मुक्ति की मांग करने से पूर्व निर्धारित समयानुसूची के भीतर जीएफआर 19क फॉर्मेट में निर्मुक्त की जा रही निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा|

(vi) एनईडीएफआई यह वचन देगा कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 4(1)(क) एवं (ख) के उपबंधों का अनुपालन करता रहा है|

(vii) एनईडीएफआई यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता प्राप्त इकाई ने उसी प्रयोजन अथवा गतिविधि के लिए भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग अथवा किसी राज्य सरकार से राजसहायता प्राप्त नहीं की है|

(viii) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारें/एनईडीएफआई जीएफआर 212(3) के अनुसार परिवहन राजसहायता योजना के कार्य संचालन पर अपनी सामान्य टिप्पणियों सहित अधिक से अधिक 30.06.2012 तक निष्पादन सह उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी|

(ix) एनईडीएफआई द्वारा इस विभाग को मासिक आधार पर एक विस्तृत व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा|

5. इस संस्वीकृति के प्रयोजन के लिए अधोहस्ताक्षरी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के तौर पर कार्य करेगा|

6. यह व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्षों के नामे डाला जाए:-

मुख्य शीर्ष "2885" - उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय (मुख्य शीर्ष)
02 - पिछड़े क्षेत्रों का विकास (उप मुख्य शीर्ष)
02.101 - राजसहायता (लघु शीर्ष)
09 - परिवहन राजसहायता
09.00.33 - राजसहायता| वर्ष 2011-12 के दौरान औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत|

7. इस व्यय का वहन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एमएच-2885.02.101-09 परिवहन राजसहायता, 09.00.33-राजसहायता से किया जाएगा|

8. इसे एकीकृत वित्त स्कंध, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की दिनांक 24.05.2012 की डायरी सं. 50/आईएफडब्ल्यू/डीआईपीपी के द्वारा उनके अनुमोदन से जारी किया जा रहा है|

भवदीय

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 23063096

<u>प्रति</u>:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई), एनईडीएफआई भवन, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम, पिन-781 006 | परिवहन राजसहायता का संवितरण समय-समय पर जारी अनुदेशों और स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में पात्र इकाइयों को किया जाए| उपयोग प्रमाणपत्र संवितरित राजसहायता के इकाई-वार ब्यौरों सहित फॉर्म 19-क में प्रस्तुत किया जाए जिसे कम्प्यूटर फ्लॉपी में भी दिया जाए|

2. प्रबंधक, उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) सी-172 (भूतल-पिछवाड़ा), सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 |
3. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, इंद्रप्रस्थ ईस्टेट, नई दिल्ली|
4. वित्त-II अनुभाग, एकीकृत वित्त स्कंध, औद्योगिक नीति एव संवर्धन विभाग|
5. लेखा अधिकारी, प्रधान लेखा कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (संस्वीकृति आईडी संलग्न है)|

6. बजट एवं लेखा अनुभाग |
7. संस्वीकृति फोल्डर|
8. गार्ड फाइल |

(अरुण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 23063096